आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
02.5.25	**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।** **R.M.R. Case No.-11/2015-16** नथनियल दास एवं अन्य **बनाम** नामुनियल दास उर्फ मानुएल दास एवं अन्य **आदेश** यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Mutation Case No.-112/2000-01 में दिनांक–12.03.2007 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है। अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Mutation Case No.-112/2000-01 में दिनांक–12.03.2007 को पारित आदेश सारा दास, पिता–आकु क्रिश्चान, ग्राम–बुधुडीह, थाना–जामताड़ा के मौजा–बुधुडीह के जोत संख्या–95, दाग सं0–832, रकवा 0.58 एकड़ एवं जोत सं0–83 के दाग संख्या–3,4,15,831,834,837 में क्रमशः रकवा 0.60,0.21,0.20,0.57,0.60 एवं 0.73 एकड़ तथा मौजा–बेना के जोत संख्या–55 के दाग संख्या–1311 में रकवा–0.29 एकड़ तथा दाग संख्या–1312, में रकवा–0.12 एकड़ जमीन के नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करते हुए वार्षिक लगान क्रमशः 25 रूपये, 10 रूपये एवं 35 रूपये अलावे शेष देय का आदेश दिया गया। वादी पक्ष नथनियल दास एवं अन्य के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा–बुधुडीह के जमाबन्दी रैयत एवं निवासी है तथा मौजा–बेना जमाबन्दी रैयत है। गत सर्वे सेटेलमेंट के अनुसार मौजा–बुधुडीह के जमाबन्दी संख्या–83, कुल रकवा–2.91 एकड़ के खतियानी रैयत का नाम शिबू क्रिश्चान एवं जमाबन्दी संख्या–91, कुल रकवा–58 डी0 के खतियानी रैयत का नाम शिबू क्रिश्चान एवं निरोदावाला क्रिश्चान अभिलेखित है। गत सर्वे सेटेलमेंट के अनुसार मौजा–बेना, खाता संख्या–55 का खतियानी रैयत का नाम शिबू क्रिश्चान एवं निरोदावाला क्रिश्चान है। शिबू क्रिश्चान की मृत्यु नावल्द हो चुका है। इस प्रकार शिबू क्रिश्चान के संपत्ति निरोदावाला क्रिश्चान को तत्पश्चात् उसके वंशज को स्वतः वंशानुगत चला जाता है। सारा दास किसी भी तरह वादी पक्ष के परिवार का वंशानुगत नहीं है। सारा दास चन्द्रदीपा में रहती है। अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Mutation Case No.-112/2000-01 में दिनांक–12.03.2007 को पारित आदेश द्वारा 16 आना रैयतों को बिना सूचना तामिला कराये एवं अवैध ठंग से सारा दास के नाम पर नामांतरण किया गया। प्रश्नगत जमीन पर वादी पक्षकारगण शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है लेकिन उक्त गैर कानूनी नामांतरण वाद में आदेश के पश्चात् पक्षकारगण को परेशानी उत्पन्न हो गयी है। प्रश्नगत जमीन का सही मालिक वादी पक्षकारगण है। सारा दास द्वारा गलत तरिके से नामांतरण कराने के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Mutation Case No.-112/2000-01 में दिनांक–12.03.2007 को पारित आदेश रद्द करने हेतु वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा कहा गया। विपक्षी नामुनियल उर्फ मानुएल दास, माता–स्व0 सारा दास एवं अन्य के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि गत सर्वे सेटेलमेंट के अनुसार मौजा–बुधुडीह, खाता संख्या–832, रकवा–0.58 एकड़, जमाबन्दी नं0–83, दाग संख्या–3,4,15,831,834 एवं 837 रकवा क्रमशः 0.60 एकड़ 0.21 एकड़ 0.20 एकड़ 0.57 एकड़ 0.60 एकड़ एवं 0.73 एकड़ मौजा–बेना, जमाबन्दी नं0–55 के दाग संख्या–1311, रकवा–0.79 एकड़ तथा 1312 रकवा–0.12 एकड़ जमीन के खतियानी रैयत शिबू क्रिश्चन के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत शिबू क्रिश्चन के मृत्यु के बाद उनके एक मात्र पुत्र आकु क्रिश्चन दखलकार हुए। आकु क्रिश्चन के चार पुत्री सारा दास, आमला बेसली, राहेल रशेल एवं महिमा सिंह में से तीन पुत्री द्वारा सारा दास के पक्ष में प्रश्नगत जमीन के नामातंरण में कोई आपत्ति नहीं होने संबंधी एक शपथ–पत्र दाखिल किया गया। वादी पक्षकारगण द्वारा उक्त नामांतरण के विरूद्ध आपत्ति किया जाना निराधार है, उनके द्वारा दिये गये उत्तराधिकारी नियमानुसार बैध नहीं है। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अपील वाद में "Fact and low points" पर देखा जाता है लेकिन रिविजन वाद में सिर्फ "illegality of the order" पर ही विचार किया जा सकता है। यह वाद रिविजन वाद है। इसमें "Fact and low points" पर विचार न होकर सिर्फ "illegality of the order" पर विचार होना चाहिए। निम्न न्यायालय में आदेश पारित करते समय नियमों का अनुपालन किया गया है। शिबू क्रिश्चन के सम्पति के हक के लिए आकु मिरधा उर्फ आकु क्रिश्चन द्वारा उपसमाहर्त्ता के न्यायालय, जामताड़ा में Title Suit No.-R/46 of 1953 के रूप में पॉल क्रिश्चन के पिता के विरूद्ध दायर किया गया था लेकिन	

यह वाद खारिज हो चुका था। उक्त Title Suit No.-R/46 of 1953 के विरुद्ध आकु क्रिश्चन द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा में Title Appeal No.-05 of 1970 दायर किया गया जिसमें आकु मिर्धा उर्फ आकु क्रिश्चन के अपील को स्वीकार करते हुए उपसमाहर्त्ता, जामताड़ा के Title Suit No.-R/46 of 1953 आदेश को खारिज किया गया। पॉल क्रिश्चन द्वारा आयुक्त के न्यायालय में पुनः Title Appeal No.-07 of 1971 अपील किया गया लेकिन उनके द्वारा दिनांक-04.07.1975 द्वारा उक्त अपील को खारिज किया गया। इस प्रकार Title Appeal No.-05 of 1970 के आदेश बरकरार रह गया। आकु मिर्धा/आकु क्रिश्चन द्वारा उक्त जमीन पर Delivery of Possession के लिए Title Exestuation No.-01 of 1975 दायर किया गया जो उपसमाहर्त्ता, जामताड़ा के दिनांक-06.02.1976 को पारित आदेश द्वारा प्रभावी हुआ। जब तक आकु क्रिश्चन जीवित थे इस सम्पूर्ण सम्पति पर उनका दखल कब्जा था। उनके मृत्यु के समय तक उनके चार पुत्रियों में से एक पुत्री सारा दास उसके पास रहती थी। अन्य तीन पुत्रियों के अनापत्ति शपथ-पत्र के पश्चात् एवं अंचल अधिकारी, जामताड़ा के अनुशंसा के आलोक में प्रश्नगत जमीन पर सारा दास को अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय में नामांतरण प्राप्त हुआ। निरोदावाला क्रिश्चन खतियानी रैयत थे। निरोदावाला क्रिश्चन प्रेमचन्द क्रिश्चन के विधवा थी। गेंजर रिपोर्ट के पारा 45 एवं 46 के अनुसार यदि एक महिला सर्वे सेटेलमेंट खतियान में पिता के पुत्री अभिलेखित हो तो उक्त सम्पत्ति का उत्तराधिकारी उसके पिता होंगे। लेकिन यदि महिला विधवा अभिलेखित हो तो उसके पति सम्पति के उत्तराधिकारी होंगे। इस सम्पूर्ण वाद में Civil dispute है, जिसका विचार व्यावहार न्यायालय में हो सकता है। चूँकि यह रिविजन वाद है तद्नुसार "Fact and low points" पर भी विचार नहीं किया जा सकता है। यह रिविजन वाद सारा दास द्वारा 60 साल तक लड़ा गया एवं उसके मृत्यु के पश्चात् उसके संतान के नाम प्रतिस्थापित किया गया। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा रिविजन आवेदन को खारिज करने हुते अनुरोध किया गया।

उपभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश करते समय कार्यवाही में नियम का अनुसरण किया गया। वाद के रिविजन होने के कारण वर्तमान कार्यवाही की विचार के लिए विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा "Fact and low points" पर विचार नहीं करने का वकालत किया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Mutation Case No.-112/2000-01 में दिनांक-12.03.2007 को पारित आदेश "अंचल अधिकारी, जामताड़ा से जाँच प्रतिवदन माँग कि गई तथा मौजा 16 आना रैयतों को आपत्ति दर्शाने हेतु आम सूचना निर्गत की गई। नोटिस का तामिला एवं अंचल अधिकारी, जामताड़ा के जाँच प्रतिवदेन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। अंचल अधिकारी, जामताड़ा को प्रेषित जाँच प्रतिवेदन को अवलोकन किया। आवेदिका खतियानी रैयतों को बेटी है एवं खतियानी रैयत के चार लड़की थी सभी शादी करके अपने-अपने सुसराल में रहती है, सिर्फ एक पुत्री अपने पिता के घर में निवास करती है। साथ ही दिनांक-08.12.2006 को तीनों बहनों से प्राप्त दावा संबंधी शपथ-पत्र दाखिल किया है जिसमें तीनों बहनों का उपर्युक्त नामांतरण किए जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। आवेदिका का प्रस्तावित जमीन पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा बताया गया है। मौजा 16 आना रैयत द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति आज तक दर्ज नहीं है।" इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Mutation Case No.-112/2000-01 में दिनांक-12.03.2007 को पारित आदेश नियमानुकुल है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Mutation Case No.-112/2000-01 में दिनांक-12.03.2007 को पारित आदेश यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण लेने के लिए स्वतंत्र है।
वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by localhost
Date: 2025.05.16 12:05:08 +05:30
Location: 192.168.30.106

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।